22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उप०। तहसीलदार सांगानेर से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई, निर्णय व डिक्री की पालना राजस्व रिकार्ड मे हो चुकी है, ऐसी स्थिति मे उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:58:04 IST
Reason: SelfAttested